मध्यप्रदेश शासन
लोक निर्माण विभाग

क्रमांक 1129/17/19/यो   भोपाल, दिनांक 22/02/2017

प्रति,

1. प्रमुख अभियंता,
   लोक निर्माण विभाग,
   भोपाल।

2. समस्त मुख्य अभियंता,
   लोक निर्माण विभाग,
   मध्यप्रदेश।

विषयः– लोक निर्माण विभागों द्वारा निर्मित सड़को को अन्य विभागों द्वारा खोदे जाने के पश्चात् सड़क मरम्मत की दरों का निर्धारण।

संदर्भः– मध्यप्रदेश शासन, लोक निर्माण विभाग द्वारा इस संबंध में जारी निर्देश क्रमांक 5649/16/19/यो, दिनांक 05.10.2016

उपरोक्त सदंर्भित ज्ञाप क्रमांक 5649/16/19/यो, दिनांक 05.10.2016 द्वारा निर्देश जारी कर लोक निर्माण विभाग एवं शासकीय विभागों/स्थानीय निकायों की सड़को पर टेलीफोन केबिल, पाईप लाईन या अन्य कोई यूटिलिटि गतिविधि हेतु सड़क खोदने के उपरान्त उसकी मरम्मत करने के लिए लोक निर्माण विभाग के नवीनतम एस.ओ.आर. के आधार विभिन्न श्रेणी की सड़को एवं सड़क के हिस्सों यथा साफ्ट शोल्डर, हार्ड शोल्डर, बी.टी. रोड़, सी.सी. रोड़ के लिए प्राप्त रनिंग मीटर दरें निर्धारित गई, जो निम्नानुसार थी :–

तालिका –1

S.NO.	Particular	Unit	Rate	Remark
1.	Repairing of earthen surface beyond one meter toe line of Road & within Row	RM	210.00	
2.	Repairing of Soft Shoulder and earthen surface up to one meter from toe line	RM	1380.00	
3.	Repairing of hard shoulder/WBM surface road	RM	1475.00	
4.	Repairing of B.T. Surface road with Bituminous material	RM	2400.00	
5.	Repairing of B.T. surface Road with CC finish	RM	3060.00	
6.	Repairing of CC surface Road with CC finish	RM	3060.00	

उपरोक्त जारी निर्देशों में निम्नानुसार आंशिक संशोधन किया जाता है:—

(1) तालिका—1 के सरल क्रमांक.1 में Repairing of earthen surface beyond one meter toe line of Road & within Row में रेट रू. 210.00 प्रति रनिंग मीटर के स्थान पर रू. 105.00 प्रति रनिंग मीटर निर्धारित किया जाता है। तालिका—1 में सरल क्रमांक 2 से 6 यथावत रहेगी।

(2) उक्त क्रमांक 1 का आयटम लागू होने पर सड़क की मरम्मत का कार्य भी संबंधित एजेन्सी द्वारा किया जावेगा।

(3) संबंधित एजेन्सी द्वारा मरम्मत कार्य किये जाने की स्थिति में रूपये 105.00 प्रति रनिंग मीटर की दर से गणना कर बैंक गारन्टी ली जावेगी, जो कि उनके द्वारा संतोषजनक कार्य पूर्ण करने के उपरान्त वापिस की जा सकेगी।

(4) शासन के उपरोक्त संदर्भित ज्ञाप दिनांक 05.10.2016 द्वारा इस संबंध में जारी अन्य दरें एवं शर्ते यथावत रहेंगीं

22/2/17

(चन्द्र प्रकाश अग्रवाल)
सचिव
मध्यप्रदेश शासन,
लोक निर्माण विभाग

पृ0 क्रमांक भोपाल, दिनांक /02/2017

प्रतिलिपिः—

1. प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन, नगरीय विकास एवं आवास विभाग, भोपाल।
2. प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन, नगरीय प्रशासन एवं आवास विभाग, भोपाल।
3. प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, भोपाल।
4. प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन, ऊर्जा विभाग, भोपाल।
5. प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम, भोपाल।
6. समस्त कलेक्टर, मध्यप्रदेश।
7. समस्त अधीक्षण यंत्री, लोक निर्माण विभाग मण्डल कार्यालय, मध्यप्रदेश (सेतु को छोड़कर)
8. समस्त कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग संभागीय कार्यालय, मध्यप्रदेश (सेतु को छोड़कर)

सचिव
मध्यप्रदेश शासन,
लोक निर्माण विभाग

मध्यप्रदेश शासन
लोक निर्माण विभाग

क्रमांक : 5649/16/19/ मो   भोपाल, दिनांक 05-10-16

प्रति,

1. प्रमुख अभियंता,
   लोक निर्माण विभाग,
   भोपाल

2. समस्त मुख्य अभियंता,
   लोक निर्माण विभाग,
   मध्यप्रदेश.

विषयः— **लोक निर्माण विभागों द्वारा निर्मित सड़कों को अन्य विभागों द्वारा खोदे जाने के पश्चात् सड़क मरम्मत की दरों का निर्धारण ।**

संदर्भः— मध्यप्रदेश शासन, लोक निर्माण विभाग द्वारा इस संबंध में जारी निर्देश दिनांक 16.10.2000

(1) i) उपरोक्त संदर्भित आदेश को संशोधित करते हुए लोक निर्माण विभाग एवं शासकीय विभागों/स्थानीय निकायों की सड़कों पर टेलीफोन केबिल, पाईप लाईन या अन्य कोई यूटिलिटि गतिविधि हेतु सड़क खोदने के उपरान्त उसकी मरम्मत करने के लिए लोक निर्माण विभाग के नवीनतम एस.ओ.आर. के आधार पर विभिन्न श्रेणी की सड़कों एवं सड़क के हिस्सों यथा साफ्ट शोल्डर, हार्ड शोल्डर, बी.टी. रोड, सी.सी. रोड के लिए प्राप्त रनिंग मीटर दरें निर्धारित गई है, जो नीचे दी गई तालिका अनुसार है :

तालिका – 1

S.No	Particular	Unit	Rate	Remark
1.	Repairing of earthen surface beyond one meter toe line of Road & within ROW	RM	210.00	
2.	Repairing of Soft Shoulder and earthen surface up to one meter from toe line	RM	1380.00	
3.	Repairing of Hard shoulder / WBM Surface Road	RM	1475.00	
4.	Repairing of B.T. Surface Road with Bituminous Material	RM	2400.00	
5.	Repairing of B.T. Surface Road with C C finish	RM	3060.00	
6.	Repairing of CC Surface Road with C C finish	RM	3060.00	

उक्त गणना के लिए सड़क काटे जाने की न्यूनतम चौड़ाई एक मीटर ली गई है एवं गहराई 1.2 मीटर ली गई है, क्योंकि इससे कम चौड़ाई में सड़कों की मरम्मत एवं उचित काम्पेक्शन नहीं हो पाता है। साथ ही खोदी गई मिट्टी एवं मुरूम को पुनः भरने के स्थान पर केवल सी.आर.एम. से भरने का प्रावधान किया गया है, जिससे उचित काम्पेक्शन हो सके ।

ii) कार्यस्थल की आवश्यकतानुसार बी.टी. सर्फेस में भी सीमेंट कांक्रीट के द्वारा मरम्मत की जा सकती है ।

iii) यदि एक मीटर से अधिक चौड़ाई में सड़क कटिंग की जाती है तो उक्त दरों की गणना क्षेत्रफल के अनुसार प्रतिवर्ग मीटर में की जायेगी, जो कि नीचे तालिका में दर्शाया गया है :

तालिका – 2

S.No	Particular	Unit	Rate	Remark
1.	Repairing of earthen surface beyond one meter toe line of Road & within ROW	SQM	210.00	for width more then 1.0 m
2.	Repairing of Soft Shoulder and earthen surface up to one meter from toe line	SQM	1380.00	---"---
3.	Repairing of Hard shoulder / WBM Surface Road	SQM	1475.00	---"---
4.	Repairing of B.T. Surface Road with Bituminous Material	SQM	2400.00	---"---
5.	Repairing of B.T. Surface Road with C C finish	SQM	3060.00	---"---
6.	Repairing of CC Surface Road with C C finish .	SQM	3060.00	---"---

iv) उक्त सभी प्रावधान विभिन्न स्थानीय निकायों यथा नगर निगम आदि द्वारा पानी सप्लाई हेतु सड़क काटे जाने पर भी लागू होंगे ।

v) यदि कहीं सड़क कटिंग की गहराई 1.2 मीटर से अधिक होती है तो प्रत्येक 10 से.मी. अतिरिक्त गहराई हेतु रूपये 115/– को उक्त तालिकाओं में वर्णित दरों में जोड़ा जाये ।

-2-

(2) उक्त प्रावधानों के अतिरिक्त यदि रोड कटिंग करने से फुटपाथ, बाउण्ड्रीवाल, ड्रेन आदि को क्षति पहुंचती है तो मरम्मत हेतु नवीनतम एस.ओ.आर. पर आधारित प्राक्कलन के आधार पर राशि ली जावेगी ।

(3) उक्त दरों में प्रतिवर्ष 5 प्रतिशत अथवा एस.ओ.आर. पर आने वाली राशि जो भी अधिक हो, की वृद्धि की जावेगी ।

(4) इसके अतिरिक्त सडक को काटने वाली एजेन्सी के लिए यह आवश्यक होगा कि वह यथासंभव HDD तकनीक से ही सड़क खोदने की कार्यवाही करें, जिससे कि सड़क को न्यूनतम नुकसान हो एवं मरम्मत कार्य तुरन्त हो सके ।

Prakash
5.10.2016

(चन्द्र प्रकाश अग्रवाल)
सचिव,
लोक निर्माण विभाग

पृ0 कमांक : 5650/16/19/यो — भोपाल, दिनांक 5-10-16

प्रतिलिपि :–

1. प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन, नगरीय विकास एवं आवास विभाग, भोपाल
2. प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग, भोपाल
3. प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, भोपाल
4. प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन, उर्जा विभाग, भोपाल
5. प्रबन्ध संचालक, मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम, भोपाल
6. समस्त कलेक्टर, मध्यप्रदेश.
7. समस्त अधीक्षण यंत्री, लोक निर्माण विभाग मण्डल कार्यालय, मध्यप्रदेश (सेतु को छोड़कर)
8. समस्त कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग संभागीय कार्यालय, मध्यप्रदेश. (सेतु को छोड़कर)

Prakash
5.10.2016

सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
लोक निर्माण विभाग